ग्रामीण विकास विभाग,एस0एस0ओ बिल्डिग, शासन सचिवालय,जयपुर

क्रमांक एफ 11(3)/ग्रा.वि./के.भ/स्टोर/2006 जयपुर दिनांकः 10 MAY 2017

दैनिक किराये पर टैक्सी वाहन हेतु बोली (बिड) आमंत्रण सूचना
एन.आई.बी. संख्या–02/2017–18 दिनांक 09.05.2017

1 ग्रामीण विकास विभाग्, जयपुर द्वारा मुख्यालय में उपयोग हेतु दैनिक किराये पर टैक्सी वाहन, वर्ष भर जब भी आवश्यकता हो के आधार पर, सेवाओं के उपापन (Procurement) के लिये निम्न विवरणानुसार शील बन्द लिफाफे में बोली (बिड) आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	दैनिक किराये पर टैक्सी/कार के मॉडल	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति	बोली दस्तावेज शुल्क	अनुबन्ध की अवधि
1	टाटा इण्डिका, टाटा इण्डिगो, स्विफ्ट डिजायर/ टोयटा इटियोस, सेवरले टवेरा/सूजूकी आर्टिगो, एवं टोयटा इन्नोवा	5.00 लाख	10,000/–	200/–	एक वर्ष जिसे आपसी सहमति से एक वर्ष और बढाया जा सकता है।

2 बोली (बिड) दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in पर या ग्रामीण विकास् कार्यालय में देखे/प्राप्त किये जा सकते है। बोली दस्तावेज उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है या ग्रामीण विकास् कार्यालय में निर्धारित फीस रूपये 200/– नकद, बैंकर्स चैक या बैंक ड्राफ्ट के जरिये जमा कराकर बोली प्रस्तुत करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। वेबसाईट से डाउनलोड बोली दस्तावेज के लिये भी निर्धारित फीस बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराने पर ही बोली स्वीकार्य होगी।

3 बोली (बिड) के समस्त पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या डाली जाकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर निर्धारित प्रतिभूति के साथ शील बन्द लिफाफे में दिनांक–24.05.2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) कमरा नम्बर 8113 प्रथम तल उत्तर–पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को व्यक्तिशः या जरिये डाक प्रस्तुत की जा सकती है। बोली (बिड) लिफाफे पर **"एनआईबी संख्या............ दैनिक किराये पर अनुबन्धित टैक्सी/कार वाहन के लिये बोली (बिड)"** एवं **"दिनांक................समय........बजे से पूर्व नहीं खोला जावे"** लिखा जाकर बोली (बिड) प्रस्तुत की जावे।

D:\store. and acc\tendees.docx

4 बोली (बिड) के साथ अनुमानित वार्षिक लागत की 2 प्रतिशत प्रतिभूति नकद बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या निर्धारित प्रपत्र में भारतीय सिड्यूल बैंक की गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जावें। इसके अभाव में बोली (बिड) पर विचार नहीं किया जावेगा।

5 निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त बोली (बिड) स्वीकार्य नहीं होगी एवं बिना खोले ही वापस लोटा दी जावेगी।

6 निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त बोली (बिड) दिनांक 24.05.2017 को सांय 4.00 बजे संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) कमरा नम्बर 8113 प्रथम तल, उत्तर–पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

7 उपापन संस्था न्यूनतम बोली (बिड) को स्वीकार ही करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी बोली या उसके किसी भी भाग या सभी बोलियों को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।

8 बोलीदाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां बोली (बिड) के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)
कमरा नं0 8113, उत्तरी–पश्चिमी भवन
(एस.एस.ओ. बिल्डिंग)
शासन सचिवालय, जयपुर

D:\store. and acc\tendees.docx

Bid Document No................ Rs.200/-

Date: -............

BID DOCUMENT

HIRING OF TAXI CARS ON DAILY FARE BASIS

1.	NIB No. 02/2017-18	No. F.11(3)/RD/KB/Store/2006 Dated.....................
2.	Bid inviting Authority & Address	Joint.Secy.(admn.)R.D.D., S.S.O. Building, Sectt., Jaipur
3.	Telephone No.	0141-2227634
4.	Telephone-cum-Fax No.	0141-2227176
5.	Email	
6.	Web site	http://sppp.raj.nic.in
7.	BID DOCUMENT can be obtained upto	Date: 24th May, 2017 - Time: upto4.00 PM
8.	Bid can be submitted up to	Date: 24th May, 2017 - Time: 1.00 PM Place: Room No. 8113, SSO Building Sectt., Jaipur-302005
9.	Opening of tenders	24th May, 2017 Time: 4.00 PM Place: Room No. 8113, North-West Building (SSO Building) Secretriate, Jaipur-302005

Signature of Issuing Authority

CHECK LIST

Bidder is required to furnish the following information:

S. No	Particulars	Enclosed Yes/No	Details (DD/_Cash Receipt No., Date & Amount etc.)	Page No.	Remarks
1	Earnest money of Rs. 10,000/- if yes, furnish details				
2	Bid documents (in original)				
3	Terms & Condition duly signed or not?				
4	Lists/ documents enclosed				
5	Firm/Company Registrations				
5	PAN No.				
6	Sevice Tax No.				
7	Others specify				

Note: - Please fillup the PAN and Service Tax Number and other applicable information in the relevant columns.

Signature of Bidder

D:\store and accstendees.docx

Rural Development Department

North-West Building (SSO Building), Government Secretariate
JAIPUR - 302005

i. Bid for **HIRING OF TAXI CARS ON DAILY FARE BASIS**

ii. Information of the firm/Bidder

1	Name of the firm/Bidder	Information Required	Document enclosed
2	Postal address		
3	Telephone Nos.	Residence:	
		Office:	
		Mobile:	
4	Firm/Company Registration		
5	Fax No s.		
6	Email		
7	Name of Person to be Contacted		
	Telephone No.		
	Mobile No.		
8	PAN No.		
9	Service Tax Registration		

iii. Address to (Procurring Entity) Joint.Secy.(admn.)R.D.D. Room No. 8113, S.S.O. Building, Sectt., Jaipur,

iv. NIB reference No.02/2017-18- F11 (3) / RD /KB /Store/2006 Dated.................. Last date of submitting tender 24th May, 2017 upto 1.00 PM.

vi. The Bid document fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No.............. Dated.............. or DD/BC/BG No.............. Dated.............Amount............ Bank................

vii. We agree to abide by all the conditions mentioned in the above Bid notice issued by the tendering authority and also the general conditions of the said Bid notice given in the attached sheets (all the page of which have been signed by us in acceptance of the terms & conditions mentioned there in).

viii. The successful Bidder is required to execute agreement with Joint Secy.(admn.) R.D.D. on Non Judicial Stamp paper worth Rs. 500/-.

ix. Copy of experience certificate enclosed.

Signatures of Bidder

वाहन किराया अनुबन्ध के लिए बोली (बिड) एवं संविदा की सामान्य शर्ते एवं निर्देश

टिप्पणी : बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली (बिड) को एनआईबी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. "वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं द्वारा बोली (बिड)": – निविदाएँ वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं/वाहन मालिकों/ट्रेवल ऐजेन्सियों द्वारा ही दी जावेगी। इस संबंध में वे घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
4. सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र :– कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।
5. बोली (बिड) प्रारूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली (बिड) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली (बिड) के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुल्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों/सेवाकर की राशि को पृथक–पृथक से दिखाना चाहिए।
7. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।
8. निरीक्षण :–
   (क) वाहन उपयोग कर्ता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, को किसी भी समय सेवादाता/ अनुबन्ध कर्ता के कार्य स्थल या वाहनों का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
   (ख) बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क किया जा सके।
9. अनुबन्ध/सेवा हेतु संविदा को, यदि सेवा अनुबन्धकर्ता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अनुबन्धकर्ता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

10. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

11. यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में प्राप्त करता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

12. बोली प्रतिभूति (Bid Security) :– (क) बोली (बिड) के साथ 10,000/– रु. की बोली प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि "आहरण एवं वितरण अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग" के पक्ष में नकद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या भारतीय सिड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जावेगी।

(ख) बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय :– असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलियों के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

13. बोली प्रतिभूति का समपहरण :– बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब बोलीदाता बोली (बिड) खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता वाहन उपलब्ध कराने के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति (Security) राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

14. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप : –

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत के बराबर रूपये 25,000/– की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से, जिसको बोली (बिड) के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा "आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर" के नाम नकद, बैंक ड्राफ्ट,बैंकर्स चैक, भारतीय सिड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी अथवा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान अनुसार अन्य निक्षेपों में जमा कराई जा सकती है।

(v) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। -

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

15. भुगतान : –

(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा सेवा अनुबन्ध कर्ता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभारें बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

16. (i) बोली दस्तावेज प्रपत्र में वाहन उपलब्ध कराने के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता अनुबन्ध कर्ता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर वाहन उपलब्ध कराएगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी :– बोली दस्तावेज प्रपत्र की विशेष शर्तो में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।

(iii) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सेवा पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(iv) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सेवा की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

17. वसूलियाँ:– परिसमापित नुकसानी, रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सेवा प्रदाता संतोषजनक ढंग से सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

18. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली (बिड) स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली (बिड) नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली (बिड) को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली (बिड) दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली (बिड) को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

21. प्राप्त बोलिया (बिडस) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस तक वैध होगी।

22. कीमते गिरने का खण्ड : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन दरें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदा में कीमत सुरक्षा कियाविधि है और यदि दर संविदाधारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारिख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्म को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि समानान्तर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल संविदा धारक फर्म को अपनी कीमते तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

23. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जावेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

24. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम, 2013 में अंकित इस उपापन से सुसंगत सभी प्रावधान एवं शर्ते इस बोली एवं अनुबन्ध के लिए अक्षरशः लागु होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

D:\store and accendecs.docx

दैनिक किराये पर वाहन के लिये विशेष शर्ते

1. टोल टैक्स/पथ कर (अन्य राज्यों हेतु) जहाँ भी देय हो रसीद प्रस्तुत करने पर पृथक से दिया जायेगा। जहां भी रोड/पथ कर तिमाही/वार्षिक होगा तो विभाग द्वारा त्रैमासिक पथकर का भुगतान किये जाने की स्थिति में उस राज्य की 5 बार यात्रा मानकर तथा वार्षिक पथकर का भुगतान किये जाने पर 20 बार यात्रा मानकर समानुपातिक रूप भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर पथकर का भुगतान किराये के अतिरिक्त देय होगा। (उपरोक्त को दैनिक/प्रति किमी. किराया दरों में सम्मिलित नहीं किया जावे)
2. रात्रि विश्राम की दर प्रति रात्रि अंकित करें
3. बोली (बिड) में राशि शब्दों व अंको में दोनों ही प्रकार से लिखी होनी चाहिए। बोली (बिड) में किसी भी प्रकार की कांट–छांट नही होनी चाहिए यदि किसी प्रकार की ओवरराईटिंग या कटिंग होती है तो वहां पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक है।
4. वाहनों का मॉडल वर्ष 2010 से पुराना स्वीकार नहीं होगा।
5. वाहन विभाग की आवश्यकता की सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर–भीतर उपलब्ध करवाना होगा। वाहन समय पर उपलब्ध नही कराने पर रूपये 500/– प्रतिदिन की शास्ती एवं इसके बदले अन्यत्र से वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था का अतिरिक्त चार्जेज कटौती/वसूली योग्य होंगे।
6. उक्त दरों पर वाहन ग्रामीण विकास विभाग जयपुर को उपलब्ध कराने होंगे तथा इस हेतु एक अनुबन्ध 500/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संपादित करना होगा।
7. वाहन खराब होने/दुर्घटनाग्रस्त होने पर बोलीदाता को तत्काल वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी तथा वाहन की खराबी होने/दुर्घटनाग्रस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर वैकल्पिक व्यवस्था के व्यय का भुगतान वाहन प्रदाता को करना होगा।
8. वाहन टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होगा। वाहन उपलब्ध कराते समय वाहन का पंजीयन, ड्राईविंग लाईसेंस, बीमा आदि की फोटो प्रति विभाग को उपलब्ध करानी होगी तथा वाहन चलाते समय उक्त कागज वाहन चालक के पास मूल ही उपलब्ध होने आवश्यक होंगे तथा किसी भी प्रकार के चालान आदि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक/वाहन प्रदाता की रहेगी।
9. वाहन चालक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टैक्सी चालकों हेतु निर्धारित पोशाक में ही रहेंगे। वाहन चालक को यातायात से संबंधित सभी नियमों का पालना करना होगा। ड्यूटी के दौरान टैक्सी वाहन का कोई चालान होता है तो उसकी जिम्मेदारी वाहन चालक/वाहन प्रदाता की होगी।
10. वाहन चालक वाहन चलाते समय शराब/नशीली पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, अगर सेवन किया हुआ पाया गया तो वह वाहन तत्काल वापस होगा तथा उसके स्थान पर तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी। वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट संबंधित थाने में बोलीदाता को दर्ज करानी होगी।
11. अनुबन्ध/करार की अवधि, करार की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसको आपसी सहमति से आगे 1 वर्ष तक ओर बढ़ाया जा सकेगा।
12. आयकर/टीडीएस की कटौती राशि निविदादाता के द्वारा प्रस्तुत बिल से नियमानुसार की जावेगी।
13. वाहन की लॉगबुक में वाहन जिस स्थान पर मंगाया जायेगा, उस स्थान को शून्य बिन्दु माना जायेगा तथा वाहन मुक्त करने के स्थान को अन्तिम स्थान मानकर लॉगबुक में प्रविष्टि अंकित करनी होगी।
14. वाहन प्रदाता द्वारा प्रत्येक यात्रा के लिये लॉगबुक संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रमाणित/हस्ताक्षरित करवाकर बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. वाहन की नम्बर प्लेट के ऊपर On Government Duty कार्यालय में उपस्थित होने पर लगानी होगी तथा जैसे ही वाहन को मुक्त किया जाता है उक्त प्लेट को हटाना होगा। अगर वाहन

उक्तावधि के बाद भी प्लेट लगा पाया गया तो प्रत्येक दिवस हेतु 100 रूपये का दण्ड देय होगा एवं किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये वाहन प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

16. निविदादाता यदि सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है तो उसे नियमानुसार सेवाकर की राशि का भुगतान देय होगा। भुगतान किये गये सेवाकर को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
17. परिषद द्वारा वाहन उपयोग के दौरान किसी दुर्घटना या बिमारी आदि के कारण वाहन चालक को कोई शारिरिक क्षति होती है, तो विभाग उसके लिए जिम्मेदार नही होगा। अनुबन्ध कर्ता ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। इसके लिए वाहन चालक का बीमा आदि का व्यय भी वाहन प्रदात्ता द्वारा ही वहन किया जावेगा।
18. निविदा दरो में वाहन पूर्ण रूप से पट्रोल, डीजल, ऑयल, हवा, पानी, स्टेपनी, बीमा आदि सहित चालू हालत में रखने एवं लाईसेंस सुदा वाहन चालक सहित उपलब्ध कराना होगा। वाहन के लिए आवश्यक समस्त करों एवं परिवहन कानूनों की पालना की जिम्मेदारी वाहन प्रदात्ता की होगी।

हस्ताक्षर मय मोहर
(बोलीदाता)